FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ

....बनाम ....

किस्म मुकदमा– पत्थरगढ़ी नं. ....21........ सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर [illegible] जो इस हुक्म [illegible] की तामील [illegible]
18/2/22	प्रार्थी की ओर से वकील श्री नाहबाद सिंह शक्तावत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया। संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा....मंगलवाड.......... पटवार मण्डल ....मंगलवाड..... तहसील डूंगला की आराजी नम्बर .. 485 रकबा 4.3800है .... रकबा 4.3800 हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी और बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा ....मंगलवाड........ पटवार मण्डल....मंगलवाड........ तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ....485.......... रकबा 4.3800है .... रकबा.....4.3800............ है0/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकम्मल तौर पर की जावें। पत्थरगढ़ी प[illegible] प्रतिवेदन दिनांक 22/4/22 तक न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत क[illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] से [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2022.03.22 13:25:33 IST
Reason: SelfAttested